विषय :– अनुबन्ध आधार/ठेके पर बागवानी कार्य–सेवा प्रदान करने हेतु निविदा

1. अधोहस्ताक्षरी द्वारा **केंद्रीय विद्यालय बांसवाड़ा** (राजस्थान)के लिए बागवार्नीकार्य **सेवाए ठेके पर प्रदान करने हेतु उन**पंजीकृत संस्थाओं जिनके पास इस कार्य को करने का सक्षम **प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस/** अनुज्ञा पत्र हो, से सीलबन्द निविदाए 18.12.2020 को **दोपहर 01:00 बजे तक आमन्त्रित** की जाती है निविदा सीलबंद लिफाफे में जिस पर "अनुबन्ध आधार /**ठेके पर बागवानी 'कार्य–सेवा** प्रदान करने हेतु निविदा" उल्लेखित हो, भेजी/प्रस्तुत की जावे। **प्राप्त निविदाए** अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समिति के समक्ष दिनांक 19.12.2020 को **प्रातः 11:00 बजे खोली जाएगी।**
2. **निविदाओं की** राशि में काट–छांट नहीं होनी चाहिए अंको को लाइन से **काटकर दुबारा साफ अंको में लिखा जावे।** कंटिग को पूर्ण हस्ताक्षर व दिनांक डालकर प्रमाणित **किया जाना चाहिए अन्यथा निविदा रद्द कर दी जावेगी।**
3. **अधोहस्ताक्षरी** निम्नतम दर की निविदा को स्वीकार करने के लिए **बाध्य नहीं है किसी निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।**
4. **निविदा के साथ रुपये 05,000/- अंके रूपये पांच हजार का बैंक ड्राफ्ट जो कि केंद्रीय विद्यालय बांसवाड़ा में पेयबल हो सलंग्न किया जाना आवश्यक है। निविदा स्वीकार किये जाने पर प्रतिभूति जमा राशि के रूप में एक वर्ष की सेवाओं की राशि का 10 प्रतिशत जमा कराना होगा उसमें यह राशि समायोजित करके शेष राशि जमा करानी होगी। यदि निविदा स्वीकार हो जाने पर निविदादाता सेवांए प्रदान करने में असमर्थ रहता है तो निविदा के साथ प्राप्त जमा राशि जब्त कर ली जावेगी एंव अन्य संस्थान को कार्यादेश प्रदान कर दिया जावेगा। निविदा स्वीकार न होने की दशा में यह राशि लौटा दी जावेगी।**
5. **वे निविदांए जो नियम एंव शर्तो के अनुरूप अथवा मान्य नही होगी निरस्त कर दी जावेगी।**

6. निविदा के साथ संस्था के नवीनीकृत पंजीकरण की सत्यापित छायाप्रति एंव संस्था ने जहाँ पर अपनी कार्यसेवाएँ प्रदान की है की सूची मय अधिकारी का नाम पूर्ण पते एंव फोन क्रमांक के संलग्न करे।

7. निविदा के साथ अपना कार्मिक विभाग, सेवाकर ,कर्मचारी भविष्य निधि एंव कर्मचारी राज्य बीमा सम्बंधित पंजीयन प्रमाण पत्रों एंव फर्म के पेन कार्ड की छांया प्रति संलग्न करें। **जो फर्म कर्मचारी भविष्य निधि एंव कर्मचारी राज्य बीमा सम्बंधित पंजीयन प्रमाण पत्रों एंव फर्म के पेन कार्ड की प्रति उपलब्ध करवाएगी उसी फर्म की निविदा मान्य होगी।**

8. कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा एंव सेवाकर आदि की राशि प्रति माह समय से जमा कराने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संम्बंधित एजेंसी का होगा विद्यालय इस संदर्भ में उत्तरदायी नहीं होगा। यदि ऐजंसी द्वारा यह राशी संबन्धित विभाग मे समय से जमा नहीं करवायी गई एंव किसी प्रकार की पेनल्टी होती है तो उसकी देयता का दायित्व संबधित फर्म का होगा। फर्म ने यह राशि समय से संबधित विभाग में जमा करवा दी है इसके प्रमाण पत्र की सत्यापित छांया प्रति आपको विद्यालय में अगले माह के बिल भुगतान से पूर्व प्रतिमाह प्रस्तुत करनी होगी।

9. निविदा स्वीकार होने पर आपके भुगतान में से नियमानुसार स्त्रोत कर आयकर की कटौती की जावेगी अतएव फर्म का पैंन क्रमांक सूचित करें।

10. निविदा की स्वीकृति पर 500/– रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्न पेपर पर विद्यालय की और से ऐजेन्सी को सेवा प्रदान करने के संदर्भ मे कैंद्रीय विद्यालय संगठन नियमानुसार अनुबन्ध करना होगा उसमें संलग्न शर्तों एंव निबंधनों का भी पूर्ण उल्लेख होगा।

11. आपको प्रतिमाह दिये जाने वाले बिल पर या बिल के साथ यह प्रमाण पत्र देना होगा कि आपके द्वारा लगाये गये कर्मचारियों को केन्द्र सरकार एंव राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम नवीनतम वेतन जो भी इस क्षेत्रानुसार दोनों में अधिकतम हो, की दर से किया गया है।

12. **बागवानी** कार्य हेतू **एक कर्मी** की सेवायें प्रदान करनी होगी,|

13. विद्यालय में निर्धारित शरदकालीन ,शीतकालीन एंव ग्रीष्मकालीन अवकाश में सामान्यतः केवल एक **बागवान** ही लगाए जायेगा एंव तदनुसार ही इसका भुगतान किया जावेगा।परीक्षा एंव अन्य आवश्यक कार्य हुआ तो उसके संदर्भ में कार्मिक बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्यादेश प्रदान किया जावेगा।

14. **बागवान** की उपस्थिती के संदर्भ में एक उपस्थिति पंजिका रखी जायेगी जिसमें प्रतिदिन पारी समय का उल्लेख रहेगा कि किस दिन कौनसा सफाइकर्मी किस पारी में सेवापर उपस्थित था, किस समय पर आया एंव गया।

15. आपका कोई भी **बागवान** विद्यालय परिसर में खाना बनाना, कपड़े धोने , नहाने , सोने, धूम्रपान , गुटखा खाने का कार्य एंव अन्य अवांछित कार्य/ गतिविधियाँ नहीं करेगा।

16. कार्य पर लगाये गये कर्मचारियों के नाम, पिता /पति का नाम, स्थानीय पता, स्थायी पता मय फोटो आई डी प्रूफ एंव पुलिस द्वारा चरित्र एंव पूर्ववृत्त सत्यापन विद्यालय में अभिलख हेतु तुरन्त प्रस्तुत करना होगा।

17. (अ) फ़र्म का भारत सरकार /राज्य सरकार /सैनिक कल्याण बोर्ड से पंजीकरण अनिवार्य है।
(ब) फ़र्म का श्रम विभाग से पंजीकरण होना अनिवार्य है ।

Shot on OnePlus
By MLJ

(स)फ़र्म के रजिस्ट्रेशन से संबन्धित सभी दस्तावेजो की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ लगाना अनिवार्य है ।

18. निविदा के संदर्भ में अन्य शर्तें एंव निबन्धन सूचनार्थ एंव पालनार्थ संलग्न हैं। कृपया संविदा के समस्त पृष्ठ मय हस्ताक्षर व फर्म की मोहर के निविदा के साथ संलग्न करें एंव दरें स्पष्ट रूप से भरें ।

19. सभी फर्म अपनी प्रत्येक निविदा के लिए तकनीकी निविदा (पंजीकरण/अनुमति/लाइसेन्स सम्बन्धी दस्तावेज एवं विवरण) एवं वित्तीय निविदा(फर्म द्वारा सम्बंधित कार्य की दर) अलग-अलग लिफाफों में भरकर अनिवार्यत: जमा करेंगे|

20. यदि कोई भी फर्म समिति द्वारा तकनीकी निविदा में अयोग्य पायी जाती है तो ऐसी फर्म की वितीय निविदा पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा एवं उस लिफाफे को नहीं खोला जाएगा|

21-अगर सभी/किन्ही दो फर्मो की दरें एक समान पायी जाती है तो सर्वप्रथम फर्मो का निर्णय/चयन उनके वांछित दस्तावेज, कार्यानुभव एवं वितीय प्रपत्रों के आधार पर समिति /कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा।

भवदीय

(उमा शंकर विजय)
प्राचार्य